

fulfil the following basic programme:

- (i) growth in national income at 7 per cent per annum.
- (ii) growth in per capital income of those below poverty line at 7 per cent per annum;
- (iii) growth in agricultural production at 5 per cent per annum;
- (iv) growth in industrial production at 10 per cent per annum;
- (v) to contain price rise within a limit of 5 per cent per annum;—

I have indicated 3 to 5 per cent. Why it has been put at 5 per cent?—

and (vi) to generate employment opportunities at least to take care of the addition to the labour force each year”

MR. CHAIRMAN: You may continue your speech next time.

17.56 hrs.

DISCUSSION RE: DELAY IN THE CLEARANCE OF THE BANSAGAR PROJECT BY CENTRAL WATER AND POWER COMMISSION

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Discussion under Rule 193. The discussion will be confined only to half an hour. It will be raised by Shri Rana Bahadur Singh. There are quite a few who want to ask questions. I shall be able to accommodate four.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): This is not half-an-hour discussion.

MR. CHAIRMAN: You will kindly cooperate with me. In half-an-hour's time if four people are to participate and each one is going to make a speech and the Minister is to reply and if the whole debate is also to be meaningful, I do not know how is it possible?

Therefore, if we agree, Shri Rana Bahadur Singh and one other Member may speak and then the Minister will reply. But, if four persons are to speak, then we must accept some time-limit, that is, five minutes each. Then, the difficulty will be that even Shri Rana Bahadur Singh will have to confine himself to seven minutes only and not more than five minutes for the other four Members.

Shri Rana Bahadur Singh.

श्री रणबहादुर सिंह (सिधौ) : आज जो मामला यहां उठाया जा रहा है यह एक प्राचीन साहित्यकार के नाम पर एक सिंचाई और बिजली योजना को मध्य प्रदेश में बनाए जाने का प्रस्ताव है, उसके सम्बन्ध में है। इस योजना को सोन नदी के ऊपर बनाए जाने का प्रस्ताव है। सोन नदी जो कि कुल 510 मील की लम्बाई की है मध्य प्रदेश से निकल कर बिहार में गंगा में मिलती है। 310 मील का फासला मध्य प्रदेश के अन्दर बह तय करती है। उसी नदी पर 310 फुट ऊंचा वह बांध बना करके करीब बारह लाख एकड़ की सिंचाई करने का यह प्रस्ताव है। साथ ही पास में एक छ मी फुट ऊंची पहाड़ी से नीचे पानी गिरा करके चार सौ से अधिक मेगावाट बिजली के भी उत्पादन का प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है। यह प्रस्ताव पिछले आठ नौ वर्षों में हमारे राष्ट्र के सामने है, ऊँचे से ऊँचे अधिकारियों के नामने पड़ा हुआ है। आज यह चर्चा यहाँ उठाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस कठिन समय में जब की हमारे देश में खाद्यान्न और बिजली दोनों की न्यूनता है और उस कारण से असीम कठिनाइयाँ हमको उठानी पड़ रही हैं उसको देखते हुए एक ऐसी अण्ठी योजना को इतने लम्बे अर्से से ठंडे बस्ते में बांधे रखने का कौनसा कारण है, यह हम जानना चाहते हैं।

18.00 hrs.

इस योजना से सोन नदी का जो 28,000 वर्गमील से ज्यादा का जो कैचमेंट एरिया है उसमें में करीब 7200 वर्गमील पानी बाण-

[श्री रण बहादुर सिंह]

सागर से रकने वाला है और साथ ही यह भी एक बात विचारणीय है कि हम इस योजना को बना करके 31 करोड़ रुपये की कीमत का अतिरिक्त गल्ला अपने देश में पैदा ही करेंगे। इसके साथ ही करीब 14 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने वाला है। इस तरह से यह राष्ट्र हर वर्ष करीब 45 करोड़ रुपये इसलिए खोता जा रहा है कि इस योजना को केन्द्रीय स्तर पर स्वीकृति नहीं मिली है। यदि इतना ही होता, तो फिर भी हम कह सकते थे कि यह शंका का मामला है, इसको छोड़ा जा सकता है, परन्तु इसका एक गहल और है और मैं चाहता हूँ कि वह इस माननीय मदन के सामने पेश किया जाये और उस पर विचार हो।

इस योजना से जिब इलाके में सिंचाई होने का प्रस्ताव है, वह इलाका मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। उस इलाके में रीवा, सिधी, सतना और शहडोल, ये चार जिले आते हैं, उनमें स्वतन्त्रता के 25 वर्षों के बाद भी सिंचाई का औसतन रकबा इस प्रकार है—रीवा 1.4 प्रतिशत, मिधी 0.6 प्रतिशत सतना 1.9 प्रतिशत और शहडोल 0.7 प्रतिशत। इस अर्निचित क्षेत्र के मुकाबले में पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई का औसतन 7.8 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह इलाका सिंचाई के सम्बन्ध में कितना पिछड़ा हुआ है।

इसके अलावा अभी 23 मार्च, 1973 को श्री मोहन धारिया ने राज्य सभा में प्रश्न संख्या 1595 के उत्तर में बताया था कि मध्य प्रदेश में 46.32 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी के स्तर से नीचे रहते हैं और उन्हीं के बनाये हुये आंकड़े के अनुसार बिहार में 42.80 प्रतिशत लोग बेरोजगारी गरीबी से पीड़ित हैं। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है, पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई का औसतन रकबा 7.8 प्रतिशत है, जब कि रीवा, सिधी, सतना और शहडोल में सिंचाई का औसत

क्रमशः 1.4 प्रतिशत, 0.6 प्रतिशत, 1.9 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत है। उस हिसाब से जगर देखा जाय, तो जहाँ पूरे मध्य प्रदेश में गरीबों की आबादी 46.32 प्रतिशत है, वहाँ इन चार जिलों में गरीबों की आबादी 70 प्रतिशत से ज्यादा होगी। इस पृष्ठभूमि में वे कौन से कारण हैं, जिनके आधार पर इस योजना को इतनी देर से स्वीकृत नहीं मिल रही है?

इस सम्बन्ध में मैं एक मौलिक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि हमारे इस जनतंत्र में सरकारी निर्णय कुछ ऐसे मौलिक आधारों पर निये जाते हैं, जिनको सबसे अधिक सहायता नैतिकता से मिलती होगी। यदि हम अपने देश के शासन से नैतिकता, सौहार्द और गरीबों के प्रति अपने कर्तव्य को उठा लें, तो शासन की नीतियों में खोखलापन आ जायेगा। यही नहीं, मैं तो यह देख रहा हूँ कि उस इलाके में इस योजना की ढिलाई के कारण धीरे-धीरे एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न होती जा रही है। वहाँ के गरीब यह समझने लगे हैं कि हमारी गरीबी इस योजना से जुड़ी हुई है और इस तबके में करीब करीब 36 लाख व्यक्ति हैं। 36 लाख व्यक्तियों को इस योजना से लाभ मिलने वाला है। 36 लाख व्यक्तियों के दिलों में इस सम्बन्ध में एक अजीब बिडम्बना बिराजती है और वह बिडम्बना तब तक दूर नहीं की जा सकती है, जब तक या तो शासन की ओर से उनको स्पष्ट रूप से यह न बता दिया जाये कि यह योजना अमुक कारणों से कार्यान्वित नहीं हो सकती है और या इस योजना को स्वीकृति न मिल जाये।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों के विचार इस सदन में व्यक्त हों। इसी दृष्टि में मैंने आज इस चर्चा के लिये निवेदन किया था।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से केवल इतना ही निवेदन करूंगा, जिन्होंने विशेष रूप से स्वयं जाकर इस योजना को अपना बरदहस्त दे कर वहां के लोगों को आश्वस्त किया था, कि चूंकि पाचवी पंच-वर्षीय योजना का प्रारूप बहुत शीघ्र ही निश्चित किया जाने वाला है, इसलिए अब समय आ गया है कि वह कम से कम योजना आयोग को यह बात स्पष्ट कर दे कि यह योजना शीघ्र ही स्वीकृत होगी, और चूंकि यह शीघ्र स्वीकृत होने वाली है, अतः योजना आयोग पाचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना हेतु एक विशेष धनराशि का प्रावधान अवश्य करे ।

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा)
महापति महोदय, मेरे विचार में बाणसागर का प्रश्न मानवता का प्रश्न है, उन गरीबों का प्रश्न है, जिन्हें सदा यह भय सताता रहता है कि कहीं हमारी रोटी हम से छिन न जाये और उम हिरियाली का प्रश्न है, जिसके बारे में यह शका और सशय है कि कहीं उसकी जगह बीरानी न छा जाये ।

अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि यह योजना एक बहुत बड़े साहित्यकार, बाण भट्ट, के नाम पर है । मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उस महान साहित्यकार, बाण भट्ट, ने अपनी महान पुस्तक, कादम्बरी, में मानवता के ही गीत गाये हैं । इसलिये जब हम इस योजना पर विचार कर रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या मानवता को इससे लाभ होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है ।

मैं इस योजना का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह याद दिलाया चाहता हूँ कि—इस बात को माननीय सिंचाई मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं—कि यह योजना आज की नहीं है, बल्कि ठीक

1873 से सोन नदी घाटी की योजना बिहार में पूरी हुई थी और इस प्रकार विगत सौ वर्षों से सोन नदी के पानी से बिहार में सिंचाई की समस्या होती रही है । जैसे मध्य प्रदेश के चार जिलों को इससे लाभ होने की बात कही जाती है, वैसे ही बिहार के चार जिलों—अब छ जिले हो गये हैं—गालामऊ, गया, शाहाबाद और पटना की जमीन को इससे बराबर पानी मिलता रहा है ।

अगर मध्य प्रदेश इस से सिंचाई के लिए पानी लेता है तो उस से उसकी छ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती है । लेकिन बिहार में तो अभी भी इससे सोलह लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है और कई और योजनाओं के अनुसार पैंतीस लाख एकड़ जमीन की सिंचाई का प्रस्ताव है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मध्य प्रदेश के जिन चार जिलों को इससे लाभ होगा, उनकी आबादी 36 लाख है । लेकिन बिहार के चार जिलों की आबादी सवा करोड़ के लगभग है । मध्य प्रदेश में बिल्कुल सिंचाई नहीं हो रही है और बिहार में लोग इसी पर जीवित हैं । यदि बाण सागर का निर्माण हो गया तो इससे 40 करोड़ रुपये का हर साल नुकसान पहुँचेगा । लेकिन फिर भी मैं इसका विरोधी नहीं हूँ । विरोध किस चीज का करता हूँ—आप उसको सुन लीजिये । वे चाहते हैं कि इस पानी को सिंचाई प्रपात से गिरा कर उससे बिजली पैदा करें—मैं इसका विरोध करता हूँ । इस तरह से सारा पानी बह जाता है, पानी की बरबादी होती है । यह योजना क्यों बनाई जा रही है—केवल व्यवसाय के लिये, इससे मध्य प्रदेश को 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा, लेकिन दूसरी ओर बिहार को 40 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, इसका भार किसके ऊपर आयेगा—केन्द्रीय सरकार पर आयेगा ।

[श्री शंकर दयाल सिंह]

आज लाखों करोड़ों लोग भ्रम के अभाव में किस तरह से छटपटा रहे हैं, हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं—बाबल की कमी है, गेहूँ की कमी है—40 करोड़ का जो भ्रम पैदा हो रहा है, उसके नाम पर मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो प्रस्तावित योजना है, जिसे मध्य प्रदेश ने 1969 में दिया है, जबकि हमारी योजना 1966 से केन्द्रीय सरकार को समर्पित है—उन पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये और पानी का चर्चाई प्रपात में ले जाकर गिराने की इस योजना को स्वीकृति नहीं मानना चाहिये।

मैं बड़े भ्रम से यह कहना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कई बैठकें जुलाई, जिन में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री और सिवाई मन्त्री शामिल हुए, दर्जनों बैठकें हुईं और इनका पैसा टी० ए० और डी० ए० में खर्च हुआ होगा कि जिन से कई छोटी योजनाएँ पूरी हो सकती थीं, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। अब मैं आप से यह अनुरोध करूँगा कि इसमें विलम्ब न करें और जो बहुत सारी योजनाएँ बिहार की इसी के नाम पर विचारार्थ हो पड़ी हुई हैं, कम से कम उनकी स्वीकृति तो आप दे दें। बिहार को आप के पास 27 ऐसी योजनाएँ हैं—उनकी स्वीकृति न मिलने से बहुत क्षति हो रही है—आप कृपा कर इन पर शीघ्र विचार करें।

मान्यवर, इन योजनाओं में औरंगा, अमानत, कन्हार तो ऐसी योजनाएँ हैं जिनसे दो लाख परिवार प्रभावित होते हैं। पालामऊ, गया, औरंगाबाद—ये कई ऐसे जिले हैं जो बराबर सूखाग्रस्त रहे हैं। पालामऊ में बराबर अकाल पड़ता रहता है और लाखों लाख लोग उन से प्रभावित हैं।

मैं मध्य प्रदेश के अपने माननीय भाई से कहना चाहता हूँ कि इस तरह से व्यवसाय के लिये बिजली पैदा कर के दूसरों पर प्रहार नहीं करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इस पर सोच-समझ कर निर्णय देना चाहिये। नर्बंदा की बात लेकर हमारे ऊपर बोझ मत डालिये। सोन का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश है—पानी जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो प्रकृति का विधान है कि उसको नीचे से ऊपर कैसे ले जायेंगे? जितनी सिंचाई मध्य प्रदेश में आप को करनी है, अवश्य कर लीजिये, उसके बाद हमें पानी दीजिये। लेकिन हमारी जो आवश्यकता है उसमें किसी तरह का खलल नहीं पड़ना चाहिये। मैं आपसे करता हूँ कि डा० के० एल० राव इस पर अविलम्ब विचार करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, बाण सागर परियोजना के सम्बन्ध में कई वर्षों से विवाद चल रहा है और यह विवाद तीन राज्यों के बीच में है—मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। इस योजना के तहत जैसा आपने अभी सुना है अभी सुना कि मध्य प्रदेश की सरकार सिंचाई के साथ साथ बिजली पैदा करने का व्यवसाय करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है।

श्री नरहराम अहिरवार (टीकमगढ़) : यह गलत है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह कामज में दिया हुआ है (ध्वजध्वज)।

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिंचाई की योजना को आप कार्यान्वित करना चाहते हैं तो कोई झगड़ नहीं है। क्या यह बात सच नहीं है कि आप सोन के पानी को ठोस नदी में गिराना चाहते हैं और इस तरह से गिरा कर उससे बिजली पैदा करना चाहते हैं। बिजली किस लिये पैदा करना चाहते हैं, कोई न कोई

उद्देश्य तो होगा तो ? आपने खुर कहा है कि 18 करोड़ रुपये की उस से ग्रामवनी होगी। यह व्यवसाय है। इसलिये मैं यह कह रहा हूँ कि सिंचाई के लिये हमें पानी पूरा मिलना चाहिये। हमारे चार जिलों के अन्दर—पटना, गया, पालामऊ, शाहाबाद—किस तरह से सिंचाई होती है—इनके फलवार आकड़े निम्न प्रकार हैं—

खरीफ	7 7 लाख एकड़
रबी	6 0 लाख एकड़
ग्रामा	1 0 लाख एकड़

हम मागत क्या है—तीनों राज्यों को बैठा कर आप इस मिलाने में फैमला कीजिये। हमारी पहली माग यह है कि बिहार को कम से कम 4 मिलियन एकड़ फीट पानी दीजिये तथा इस के उपयोग के लिये आवश्यक सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन होना चाहिये।

श्री शंकर दयाल सिंह 10 लाख मिलियन एकड़ फीट की माग है।

श्री रामाचरण शास्त्री बिहार सरकार की एक कमेटी है, जिस में पालियामन्ट के मेम्बर भी हैं, श्री शंकरदयाल मिश्र भी उस के मेम्बर हैं और कुछ एम० एल० एज० भी उस के मेम्बर हैं। उस की तजवीज के आधार पर हम 9 मिलियन एकड़ फीट की माग कर रहे हैं।

दूसरी बात—जिम की चर्चा श्री शंकर दयाल सिंह ने भी की है—इसमें उत्तर-कोयल जलाशय परियोजना के साथ साथ कन्हू, औरंगा, अमानत और तहने जलाशय परियोजनाये शामिल हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश स्थित रिहण्ड-औरंगा तन्त्र में सोन नहर प्रणाली के आवश्यकानुसार जल मिलने की व्यवस्था अभी ही निश्चित कर लेनी चाहिये क्योंकि इस के अभाव में सोन-खोज की सिंचाई में अचरबी पैदा होता रहता है।

यह माग हमारी बिहार सरकार की समिति की तरफ से है, इस में हम ने कौन सा गलत काम किया है। हमारी यह माग भी नहीं है कि पानी आप को न मिले, उत्तर प्रदेश को न मिले। इस को आप विशुद्ध सिंचाई योजना के रूप में देखिये, बिजली बनाने की बात छोड़ दीजिये। अगर इस के बाद आप बिजली बनाने की स्थिति में हों, तब हमारा एतराज नहीं होगा लेकिन यह बात मफाई के साथ होनी चाहिये। क्या इन सब बातों को हम मिल कर तय नहीं कर सकते ? कई बार हमारे लोगों ने मिलने को कोशिश की, हमारे मंत्री महादेव के समक्ष बैठक हुई, दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री वहाँ उपस्थित थे, लेकिन फिर भी कोई रास्ता अभी तक नहीं निकल सका। हम पाकिस्तान के साथ बैठ कर सलाह-मशविरा कर सकते हैं, भूमिहीनता कर सकते हैं, हम चीन के साथ सलाह करने का नयार है, लेकिन क्या तीनों राज्यों की सरकारें—जो सरकारें एक ही दल की हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं—क्या ये लोग आपस में बैठ कर फैसला नहीं कर सकते ? क्या समस्या को इस तरह में स्थागित रख करके आप आपस में जनता के सम्बन्ध को बिगाड़ना चाहते हैं ? अभी आपन देखा एक मामूली सी बात में कांग्रेस दल के ही दो सदस्य किस तरह से उलझ पड़े। तो, यह हमारे देश की एकता के लिये नुकसानदायक है। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि आपको सिंचाई की पूरी सुविधा मिलनी चाहिये, मेरा इतना ही कहना है कि अगर इस तरह में बैठ कर हम लोग तय करना चाहें ता तय कर सका है। हम तो दूसरे मुल्कों के साथ बैठकर समस्याओं को हल कर रहे हैं। मुकदमे या आर्बिट्रेशन में यह नहीं तय होगा बल्कि तीनों सरकारें मिलकर सचबाई की बुनियाद पर, आवश्यकता की बुनियाद पर तय कर सकती हैं। शायद भारत सरकार ने इस योजना का स्वीकृति नहीं दी है लेकिन जैसी कि अखबारों में खबर निकली है, बड़ा काम शुरू हो गया। यदि

[श्री रामावतार शर्मा]

यह बात सही है तो काम कैसे शुरू हो गया? इसकी वजह से बिहार की जनता के दिल में, बिहार सरकार के दिल में और मेरे जैसे व्यक्तियों के दिल में सन्देह पैदा हो गया है। मंत्री महोदय की हुलमुल नीति के बारे में हमें सन्देह है कि कहीं उन्होंने भीतर से, गुप्त रूप से उनको इशारा तो नहीं दे दिया कि काम शुरू कर दो? यदि यह स्थिति होगी तो स्थिति और बिगड़ेगी। क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने सचमुच में काम शुरू कर दिया है? अगर शुरू कर दिया है तो क्या आपने उन्हें इसके लिये इजाजत भेजी है? अगर इजाजत दे दी है तो बिना समझौते के आपने इजाजत कैसे दी? अगर इजाजत नहीं दी है तो यह सन्देह हमारे दिल में, बिहार की जनता के दिल में है उसको दूर किया जाये और तीनों राज्यों के मुख्य मंत्री बैठकर और यदि जरूरत पड़े तो ससंमदस्यो को बिठाकर कोई रास्ता निकाले, समझौता करे ताकि तीनों राज्यों की सिवाई की व्यवस्था ममुचित रूप से हल हो सके क्योंकि तीनों राज्यों के बाशिन्दे भाई भाई हैं, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, एक दूसरे के लिये वे जान भी देने के लिये तैयार हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस गुथी का जल्दी हल निकालें।

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ़) चेयरमैन महोदय, यहां पर जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर विचार प्रकट करते हुए मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि वास्तव में विवाद इस बात का नहीं है कि वाणमगर में पानी इनको मिलेगा या नहीं। इनका जो इन्द्रपुरी बराज है, जितनी जमीन इनकी मिलती है बिहार प्रदेश की वह पूरी सिंचती है, इनका कहना है कि अगर अकाल पड़ जाये, सूखा पड़ जाये, आप चाहे भूखों मरे लेकिन बिहार को उतना ही पानी मिलना चाहिये—कहा का आग्रह है?

दूसरी बात यह है कि जो बेसन कनाल है वह जितनी सिंचाई उत्तर प्रदेश में करती है उसके बाद में गया में खाल बी जाती है और गंगा का पानी समुद्र में चला जाता है। क्या बिहार सरकार यह नहीं कर सकती है कि गंगा नदी के पानी को लिफ्ट करके पानी कहाँ पर पहुँचाये। जब 300 फुट पानी लिफ्ट किया जा सकता है तो सौ फिट भी लिफ्ट हो सकता है।

मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पिछले 25 सालों से राजनीतिका हथकण्डों से पड़ा रहा। जितनी नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती हैं वह सारी उत्तर और पूरब की तरफ में बहती हैं। इनका पाना होते हुए मध्य प्रदेश को पानी नहीं मिलता। अगर हम पश्चिम में गए तो नर्मदा का विवाद खड़ा हो गया, अगर उत्तर में गए तो बेतवा पर चार बांध बन चुके हैं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश को न एक यन्टि बिजली मिलती है और न एक इंच पानी मिलता है। कितने ही समझौते हुए लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। रिहन्द बांध बना उसके लिए एग्रीमेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश को 15 परसेन्ट बिजली का उत्पादन देगी लेकिन नहीं दे रही है। अभी जामुनी कनाल बनी है उसमें हमारी 10 हजार एक्ड़ जमीन की सिंचाई होनी थी लेकिन केवल 500 एक्ड़ की सिंचाई हो रही है। एक नदी के किनारे केवल तीन गाँव बसे हैं, केवल सात सौ एक्ड़ जमीन है लेकिन उत्तर प्रदेश के इंजीनियर कहते हैं कि पानी हम नहीं दे सकते हैं। आप बताये इसमें मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा कसूर है कि सारी नदियाँ मध्य प्रदेश से बहें लेकिन उसको पानी न मिले? हमारे प्रदेश में एक तिहाई हरिजन और आदिवासी रहते हैं, वह सबसे बड़ा प्रदेश है, इतनी नदियाँ हैं जिनमें अपार पानी है सबसे ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश में

बढ़ता है तो उसके हिसाब से मध्य प्रदेश को पानी मिलना चाहिए और वाणसागर योजना को किसी रूप में नहीं रोका जाना चाहिए।

जहां तक सिंचाई का सवाल है, सैकड़ों वर्षों से 600 फिट उचाई से पानी बह रहा है, अगर मध्य प्रदेश ने इस्तेमाल कर लिया, बिजली का इस्तेमाल कर लेगा तो क्या वह सब कुछ अपने घर में रख लेगा? उससे जितने उद्योग-धंधे चलेगें, खेती का उत्पादन बढ़ेगा तो उसमें क्या हानि है? अगर थर्मल पावर स्टेशन लगते हैं, बिजली बनती है तो वह उद्योग-धंधों के लिए दी जाती है, किसानों को मिलती है और उससे भी सरकार को रिटर्न मिलता है। जो भी देश में आप निर्माण करने जा रहे हैं। कारखाने लगाने जा रहे हैं वह भी व्यापार है। आज क्यों कहते हैं कि व्यापार के लिए बिजली तैयार करना चाहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में अपार शक्ति है, मध्य प्रदेश गरीब नहीं है, वहां के लोग गरीब हैं, वहां पर इतनी अपार क्षमता है लेकिन उसका इस्तेमाल होने नहीं दिया जा रहा है राजनीतिक कारणों से। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ डा० के० एल० राव से कि मध्य प्रदेश की 4 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जितने भी मध्य प्रदेश के विवाद हैं उनको सुलझाया जाये और जो प्रोजेक्ट अभी तक पड़े हैं उनको तुरन्त क्लियर किया जाये। आपको मालूम है कि इस साल पूरे देश में सूखत रहा लेकिन मध्य प्रदेश ने सूखा होते हुए भी आप को गल्ला दिया और एक दाना भी केन्द्रीय सरकार से नहीं मांगा। मध्य प्रदेश के गरीब किसानों को मेहनत करके बहला पैसा करने में प्रोत्साहन देने के लिए जितने भी हाइड्रल प्रोजेक्ट्स और जितनी भी प्रेस्काइड योजनाएँ हैं उनको तुरन्त स्वीकृत दें।

BHRI NARENDRA SINGH (Satna):
Today the Lok Sabha is discussing a matter regarding Bansagar. I want to lay a few questions before the House regarding Bansagar.

Is it a fact that the Bihar Government was told by the Madhya Pradesh Government not to expand its existing irrigation system in 1960-61?

Is it a fact that Bihar, unilaterally, increased its irrigation area by almost 75 per cent in 1968-69?

Is it a fact that this area in Bihar is rich in underground water?

Is it a fact that, with only 50 ft. lift, this area newly covered in Bihar from Sone water can be irrigated by Ganga water?

श्री धनशाह प्रधान (गहड़ोल) :
सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के वाणसागर पर यहाँ विशेष चर्चा हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ आज मध्य प्रदेश का जी रीवा का सम्भाव है वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ के गरीब किसान आज तीस साल से महुआ खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। वाणसागर परियोजना के सम्बन्ध में बिहार और उत्तर प्रदेश वाले तीन चार साल से झड़पा डाले हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ इस प्रकार से क्यों उस क्षेत्र की जनता के साथ व्यवहार किया जा रहा है?

दूसरी बात यह है कि रीवा एक अकाल क्षेत्र घोषित है। उस राज्य में मरीब लोग अपना खून बेच कर खावा खा रहे हैं। आज भारत सरकार राहत कार्यों के द्वारा गरीबों को पैसा दे रही है।

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछें, यह सब बातें आ चुकी हैं।

श्री धनशाह प्रधान . आज 25 साल के बाद भी रीवा सम्भाव की जनता के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें मायबता की उपेक्षा की जा रही है। आज वह सबसे बड़ा प्रश्न मायबता का है। आज

[श्री धनराज प्रधान]

रीवा सम्भाग की जनता यह प्रार्थना करती है कि हम सरकार को अधिक से अधिक सहयोग देंगे, अन्वेषण में पूरा सहयोग देंगे किन्तु वहाँ की जनता के साथ भी न्याय किया जाये। रीवा सम्भाग की 36 लाख जनता हाथ पसारे, झोली लिये खड़ी है। आप हमारे साथ न्याय कीजिए, बाणसागर का निर्माण करिए आपकी जयजयकार होगी।

श्री कल्याणलाल चन्द्राकर (झरग) : चेयरमैन साहब, मैं सिचार्ड मंत्री जी से बो, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वह यह कि इस सोन नदी में 14 मिलियन एकड़ फीट पानी उपलब्ध है जिस में से अभी बिहार 4.5 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग कर रहा है। यह ठीक है कि वह बांध सौ साल पुराना है इस लिए बिहार वालों को कमी नहीं होने देनी चाहिए और उन को यह नदी मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश वाले उन के पानी को छीनना चाहते हैं। हमारा इतना ही अनुरोध है कि जब 14 मिलियन एकड़ फीट पानी है और 4.5 मिलियन फीट पानी का उपयोग हो रहा है तब क्या यह सम्भव नहीं है कि जो मध्य प्रदेश की मांग है कि उसे 5.5 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया जाय उस का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश को भीका दिया मध्य। हमारा यही कहना है कि मध्य प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, खास तौर से मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में एक प्रतिशत भी सिचार्ड का साधन वहाँ नहीं है तथा दूब बेल आदि से सिचार्ड की कोई योजना नहीं हो सकती है। इस मामले का पहले ही हल हो जाना चाहिए था। हमारी यह शिकायत है सिचार्ड मंत्री से कि उन्होंने मध्य प्रदेश को कभी गुजरात और कभी बिहार के साथ विवाद में फंसा दिया है और काफी समय से इस मामले को लटका रखा है। इस से मध्य प्रदेश के लोगों को संदेह होने लग गया है कि क्या बचह है कि केन्द्रीय सिचार्ड मंत्री इस में इतनी देर कर

रहे हैं। आखिर मध्य प्रदेश की नदियों से जो पानी बह कर समुद्र में जा रहा है उस का चाहे कोई भी प्रान्त उपयोग करे, लाभ तो देश को ही होने वाला है, फिर इस योजना को पूरा करने में देरी क्यों हो रही है? हो सकता है कि कुछ मिलियन एकड़ फीट पानी मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात को कम मिले, लेकिन सिचार्ड मंत्री मजबूती से निर्णय क्यों नहीं लेते हैं। जैसा हमारे शास्त्री जी ने अभी कहा कि जब दूसरे देशों से समझौता कर लेते हैं, और मंत्री जी स्वयं इस विषय के विशेषज्ञ हैं, फिर भी अभी तक वह इस मामले पर फ़ैसले को नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश वालों को उन से खास शिकायत है कि वह हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या आप इस मामले में और नरन्दा के मामले में हम लोगों को जल्दी राहत देंगे?

MR. CHAIRMAN: Mr. Sukhdev Prasad Verma.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkul): Mr. Chairman, Sir, India has won in the World Cup Hockey Tournament. We congratulate our boys.

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा (गवावा) : मैं सिचार्ड मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सच है कि सौ वर्ष का सोन नदी के पुराने एनीकेट को 1957-58 में बिहार सरकार ने भारत सरकार की स्वीकृति ले कर 13 करोड़ २० लाख कर के इन्डपुरी में सोन बैराज बनाया, और 19 लाख एकड़ जमीन को डेवलप किया जिस में से 15 लाख एकड़ की सिचार्ड हो रही है और 4 लाख एकड़ जमीन की सिचार्ड उच्चस्तरीय नहर ने पूरा होने पर शुरू हो जायगी जिसमें काम लगा हुआ है। क्या यह बात सही है कि मध्य प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों की भी मीटिंग्स की एक सभित बनायी थी और उस में निष्कर्ष दिया कि बिहार में सोन नदी की जो जमीन है जिस की सिचार्ड हो रही है, जो

विकसित की गई है जिस को 10.51 मिलियन एकड़ फीट पानी की आवश्यकता है। क्या यह बात सही है कि नही आपने तीनों मुख्य नदियों को बुला कर समझौता कराने के संबंध में जो आपने पानी का बंटवारा किया उस पानी का बंटवारा जो आप के चीफ इंजीनियर्स ने सिफारिश की थी, उस के अनुकूल नही था। मतभेद का यही कारण है।

मध्य प्रदेश की जमीन की सिंचाई का जहां तक ताल्लुक है उस पर किसी को कोई आपत्ति नही है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ क्या यह भारत सरकार का मान्य सिद्धांत है कि नही कि जिस नदी का पानी सिंचाई के काम में आ रहा हो उस पानी को दूसरी नदी में डाइवर्ट कर के बिजली उत्पादन में नही लगवेंगे। क्या इस सिद्धांत को मान्यता अभी तक दी जा रही है कि नही? उस आधार पर मेरा यही कहना है कि बिहार की सरकार और जनता को जो कि सवा करोड़ के करीब लोग बसते हैं और भ्रष्ट राज्य के समय से पानी ले रहे हैं, उन को वचित न किया जाय, तथा जो एरिया डेवलप किया है उस को बंजर न बनाया जाय।

इस संदर्भ में मैं यह भी जानकरी लेना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि उसी के चलते नौबत कोयल स्कीम और कंभर आदि स्कीमों की चर्चा हो रही है, जिस की स्वीकृति आप ने नही दी है। इसलिए बिहार का वह इलाका जो स्वीकृति रूप से सुखार है, पालामऊ और गया, औरंगाबाद, भमृष्ठा तथा रोहतास, वहां पानी देने के सम्बन्ध में जिन योजनाओं को रोक रखा है, क्या उस की स्वीकृति भी दी देने जा रहे हैं।

आप बिजली पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश को भी राय दे कि बानसागर बांध में ही ही बिजली पैदा करे जिससे दोनों प्रीबलम हल हो सकती हैं, बिजली भी मिलेगी और जमीन

की सिंचाई भी होगी, और बिहार की भी सिंचाई होगी। इस पर समझौता कराने की कोशिश करे और इस को आप जल्दी स्वीकृति प्रदान करे। जिससे बिहार का सभी उपयोगी योजनाओं में पंचम वर्षीय योजना में कार्यान्वयन हो जाय।

SHRI B. V. NAIK (Kanara): Sir I shall be very brief.....

MR. CHAIRMAN. Only question.
Mr. Naik. You put your question straightway.

SHRI B. V. NAIK. Mr. Chairman....

AN HON. MEMBER: You come from Mysore....

SHRI B. V. NAIK: I feel as much a part of Madhya Pradesh or Orissa or Bihar. If Kerala is very parochial, I can't help it.

MR CHAIRMAN: Order please.

SHRI B V NAIK. These river water disputes are left hanging for years together. By keeping these issues pending like this does the hon. Minister think that the rivers will change their courses? Or, in the alternative, does he think, the contending parties in this case, whether it is UP or Bihar, with considerable political strength, or M.P., and the respective leaders of these States will change their political postures with reference to the utilisation of the water? These are two non-variables. This is just like expecting a leopard to change its path. The leaders of the respective States will maintain their postures. Under these circumstances, is it not proper that the Central Government should finalise the river water disputes irrespective of the opposition that will come from various States and come to a decision regarding optimisation of the river waters? It may be useful for UP or Bihar or M.P. but there should be optimum utilisation of the river waters, and you should take a technical decision about it.

[Shri B. V. Nalk]

Sir, what steps the Central Government to come to this scientific and objective decision? The only thing is, there is lack of political will in this behalf, and this should be made good, and I would urge this upon the hon. Minister. Incidentally I know of many cases of river water disputes which are tied up in the River Water Disputes Tribunal and are pending for a long number of years. I request him. Let him fix some time-limit. Otherwise, these quasi-judicial bodies will prove to be futile in coming to any conclusion. There is a lot of national waste. So, I would request our Engineer-Statesman (as I have always called him) to become a Diplomat, and come to a decision because in the course of the Sixth Five-Year Plan—mind it, not the Fifth, but the Sixth Five Year Plan,—this country will not be in a position to execute any river valley projects because, everything would have been sub-judice. Now, it is in the hands of the Chief Ministers as well as the Central Government. In case it becomes irreconcilable, again it will go to the Tribunal. In the Tribunal, our friends from Madhya Pradesh as well as the other friends from Bihar and U.P. will have to wait for another five years.

Under these circumstances, some instant and quick remedy must be found out. I hope that the hon. Minister will point out the remedy here and now.

SHRI RANABAHADUR SINGH: I may be permitted to lay on the Table the letter that I had drafted out on the basis of which I was speaking. If you will permit me I shall do so.

MR. CHAIRMAN: I am afraid, the rules do not permit laying on the Table of this House in this manner.

Dr Rao.

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K L RAO): Mr. Chairman, Sir, I thank the hon. Members for speaking out whatever they

wanted to say on Bansagar Project. There was some misunderstanding in the minds of some hon. Members with regard to this. So, I shall briefly state the various aspects of the case. It is not a project on which there need be any anxiety. I must say that there were a number of disputes between U.P. and Madhya Pradesh and there had been so many difficulties. All of them have been resolved, as for example, Rajghat projects. These have been the result of the agreement between U.P. and Madhya Pradesh. They have been doing it. Most of the cases that are being referred to have also been resolved. There are only very few cases which are yet to be resolved. There is no danger or fear of there being no payments because of lack of agreement. The last speaker spoke of a difficulty with regard to the project not being taken up. In fact we wanted to bring in an amendment to the Constitution in this session to make water as a national asset so far as inter-State rivers are concerned. But, we have not been able to do it because there are so many ministries and States which are involved and hence, there is delay.

Coming now to the Bansagar Project, I shall briefly mention a few facts for the benefit of the Hon. Member. River Sone is one of the very good rivers in the country. It is of the size of the river Sutlej. In summer months the amount of water that flows through it is however, much less than that of the river Sutlej. There, in summer because of absence of ice melting only about 800 cusecs of water flows as against 4,000 to 5,000 cusecs that flows in Sutlej. Otherwise, the total quantity of water that flows in this river is more. This is a very good river. Hundred years ago, under the influence of Sir Arthur Cotton, a weir was constructed. This was irrigating 7 lakhs acres of land in Bihar. It was recently extended by another 6 lakhs acres. It is now irrigating more than about 12 lakhs acres. In the next few years, as a result of

high level canal, another 2.75 lakhs of acres will come under irrigation.

You may rest assured that the amount of water that is needed will be allowed. The existing irrigation will not be allowed to suffer. Bihar can be completely assured of the water requirement for their irrigation. There need not be any fear about that. In fact we had number of meetings and we did not remain idle. I think the hon. Mehmer Shri Chandrakar unnecessarily abused me in this respect. I have tried my best in this regard. There were four meetings with the three Chief Ministers and we have tried our best to get them round together. In fact there was a near agreement—two Chief Ministers have signed the agreement. Only the third Chief Minister said that he would try to see once again and then sign it. I won't mention his name.

As late as January, 1973, we have again tried our best. It was a very good agreement. We requested the Chief Ministers of Bihar and Madhya Pradesh to sit together and settle between themselves. There was only a minor difference. In fact there was no big difference. They said that they would do it. There were some political troubles in Bihar and as a result there was uncertainty there. That is how things got delayed.

Again, a few days back, I had taken it up with the Chief Minister of Madhya Pradesh and requested him to go over to Bihar and try to settle it. I am stating this just to point out that we are no sleeping; unnecessarily accusations are being made against me, and these are not justified in this case. There may be a number of other cases where they can probably accuse me but not in this case.

In the case of the Bansagar project, I am particularly convinced that the Bansagar project must be built as early as possible in the best interests of the nation, because it would irrigate the very heavily drought-prone areas of the Rewa plateau, the Mirza-

pur plateau and in the south of Bihar, the Palamau district and Gaya district and other districts. I am firmly convinced that it is the only solution for these drought areas. The existing irrigation in Bihar also would be greatly benefited by this, because the main defect in the existing irrigation system in Bihar is that it does not have any storage. They have got always to depend on the run of the river. On the other hand, on the Bansagar river, there will be storage of 4 million acre-feet. One million acre-feet has been allotted for Bihar and that will come in very handy for the purpose of stabilisation of the irrigation or other works connected with it in Bihar.

Another thing that the hon. Members from Bihar can be assured of is that we are not diverting any waters for the sake of power. We are not allowing any diversion of the waters for power. We know that Madhya Pradesh has got immense possibility of generating power. We know that there are natural falls there. Still, we are not attempting to use it, because we feel that irrigation is the most important thing. All that we are doing is that we have allowed a amount of water, adequate for irrigating about 6 lakhs acres. Out of that, water for irrigating one lakh acres has to be lifted up and pumped for the areas below the plateau. This water falls down before it is used for irrigation. The water falling down can generate power. We shall be getting only a small quantity of power; the power would not be large; it would be little; I do not know whether it would be even 50 MW. In the course of the run of the river; if the water falls down it can generate power. But otherwise we are not allowing any water for power generation, because we are allowing the maximum amount of water for irrigation, and especially in a drought area like this, any amount of water is needed for irrigation. Any man with any kind of planning sense will not do otherwise than that. Therefore, there need be no fear in the

[Dr. K. L. Rao]

minds of hon. Members from Bihar that we are allowing water for power generation.

One hon. Member said that the work had started. Where is the question of any work starting? It is a Rs. 120 crores project. So, how can it be started like that? It is impossible. Even if somebody wants to do it, he cannot just do it. In a big project like this, he cannot do anything at all. I am sure that he will wait for an agreement to take place. I am sure that we shall be having that agreement. In fact, I look forward to the grand occasion when the Prime Minister will be laying the foundation-stone for this, and all the three Chief Ministers would be present there. That is the occasion that we should aim for. The national unity of this country demands that people should try to get together and not allow any kind of small little things to come in and create any misunderstanding.

I may also submit that in constructing this dam, Madhya Pradesh is facing one of the heaviest submersion problems. A number of villages will be submerged and a huge amount of land will be submerged. We are fully aware of this whole fact. So, I would request hon. Members to kindly leave it to us and not go on suspecting everything, as Shri Ramavtar Shastri from Bihar and Shri Chandrakar from Madhya Pradesh had done before. They should not have any suspicions at all.

One hon. Member said that the Ganga water could be lifted. All that is in our mind. The only thing is that we must start going. That is very necessary. As I said earlier, there is only a very small thing to be adjusted now. In fact, the Chief Minister of Bihar wrote on May 7th to the Prime Minister that this problem has to be settled between him and the other Chief Minister; there were only some very small differences which Chief Minister from Bihar would settle it. In the meanwhile,

other things happened and therefore there has been a setback. We are following it up again. In fact, I wanted to have discussion with Shri Sethi who was to have come this morning in connection with the Chambal Control Board meeting; I had written to him about this also. But, unfortunately, Bhopal has been cut off and therefore he has not been able to come here so far, and, therefore, I have not been able to have discussion with him.

So, I would like to submit that this question is fully in our mind, and we shall see that the Fifth Plan will contain provision for this project, and we shall see that this project is started and put to use, and that the Sone waters would be used for the benefit of all the three States, and not particularly one State only, so that the drought-prone areas get benefited thereby, and this project shall be our national pride and not the pride of this State or that State only, and without any suffering to anybody. Nobody would suffer in this. Bihar would not suffer, nor will Madhya Pradesh or U.P. suffer. Everybody will get equitable share, and I am sure that with the hon-Members' co-operation, we shall be able to see this through. I can give them any amount of information on this subject, because there is nothing secret in this, except the agreement.

I would not give you the text of the agreement because it is still to be signed by all the Chief Ministers; there is excitement on the part of the hon. Members. There will have to be adjustments and so on, and so, except the agreement proper, I will give you any paper connected with it. Therefore, there is nothing for the hon. Members to fear and I look forward to the day, which I think would be very early, when we will be able to settle this problem and start on this very useful project of our country.

श्री शंकर बयाल सिंह : हमारे यहां जब से यह चीज चली है छः चीफ मिनिस्टर बदल चुके हैं। केन्द्रिय मंत्री यहां के यहां हैं हमारी यही प्रार्थना है कि उनके हाथों यह काम हो जाए।

MR. CHAIRMAN: I also come from Madhya Pradesh. It is a delight for

me to see that the debate has ended on such a pleasant note to the satisfaction of everyone concerned.

18.51 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, September 1, 1973/Bhādra 10, 1895 (Saka).